PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Wednesday 22nd January 2014, Page: 1
Width: 8.39 cms, Height: 17.25 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-22.75.12

डायबिटीज की महंगी दवा से मिलेगी राहत

महेंद्र सिंह ▶ **नई दिल्ली...**

डायबिटीज की महंगी पेटेंटेड दवाओं पर पर केंद्र सरकार की नजर है। देश में डायबिटीज के मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डायबिटीज की कुछ दवाओं के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग की सिफारिश कर सकता है। इससे पेटेंटड दवा का जेनरिक वर्जन बनाने का अधिकार किसी घरेलू कंपनी को मिल जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अधिकारियों का एक पैनल देश में बिक रही पेटेंटड दवाओं की कीमतों और आम लोगों की दवाओं तक पहुंच पर नजर रखता है। डायबिटीज की पेटेंटेड दवाओं की ऊंची कीमतों और इससे पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पैनल कुछ दवाओं के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करने की सिफारिश पर विचार कर रहा हैं। फैसला लेने से पहले पैनल दवा की कीमत, बिक्री और घरेलू बाजार में कौन सी कंपनियां ये दवाएं बना सकती हैं इन सभी पहलुओं पर विचार करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कई समूहों और गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार से डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के लिए कंपसलरी लाइसेंसिंग लागू करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक उक्त पैनल इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संबंधित दवा कंपनी से संपर्क कर स्वैच्छिक कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए राजी करने का भी प्रयास कर सकता है। अगर दवा कंपनी इसके लिए राजी हो जाती है तो लोगों को सस्ती दवाएं जल्दी मिल सकती हैं।

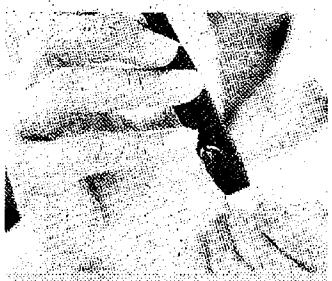

क्या है कदम

डायबिटीज की कुछ दवाओं पर जारी हो सकता है कंपलसरी लाइसेंस

घरेलू कंपनी को मिल सकता है दवा का जेनरिक वर्जन बनाने का अधिकार

अगर किसी दवा की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और इससे बड़ी संख्या में लोग दवा खरीद नहीं पाते हैं तो इस आधार पर केंद्र सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग जारी कर सकती है। इसके तहत पेटेंटेड दवा का जेनरिक वर्जन बनाने का अधिकार किसी घरेलू दवा कंपनी को दिया जा सकता है। अगर पेटेंटधारक कंपनी दवा की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर पाती है तो भी सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग जारी कर सकती है।